न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :— श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 147 / 2020

उनवान

रमेशचन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति वैष्णव निवासी ग्राम तिहारी, नसीराबाद
—— वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
—— प्रतिवादी :— जरिये राज0 पैरोकार

दावा पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राज0 अधि0 1956

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

—: निर्णय :— दिनांक :— 22.4.22

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम तिहारी कर निम्न आराजी वादी की आवंटनशुदा खातेदारी की है :—

वंर्किग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
3958	14—13—0	6253	2.37
		6253 / 6659	0.56
3959	1—11—0	6302	0.22
		6254 मिन	0.25

ग्राम तिहारी के वंर्किग खसरा नम्बर 3958 / 3 रकबा 4—19—0 व 3959 / 2 रकबा 0—17—10 की आराजी वादी को दिनांक 23.06.1985 को आवंटन की गयी। उक्त आवंटन का वंर्किग जमाबंदी में नामान्तकरण संख्या 785 दिनांक 21.05.1987 से गैर खातेदारी तथा नामा. संख्या 282 दिनांक 17.06.1992 से खातेदारी दी गयी। आवंटन दिनांक से वादी आराजी मुतनाजा पर काबिज काश्त चला आ रहा है। 3958 / 1 रकबा 4—19—0 के हाल खसरा नम्बर 6253 / 5659 रकबा 0.56 व 6253 रकबा 2.37 व 3959 / 2 रकबा 0—17—10 के हाल खसरा नम्बर 6302 रकबा 0.22 व 6254 मिन रकबा 0.25 बने है। वादी को वंर्किग खसरा नम्बर 3958 में से 4—19—0 व 3959 में से 0—17—10 भूमि आवंटित हुयी थी। हाल राजस्व अभिलेख में खसरा नम्बर 6253 रकबा 2.37 व 6254 रकबा 0.25 त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दी गयी। अतः हाल खसरा नम्बर 6253 रकबा 2.37 व 6254 रकबा 0.25 में से क्रमशः रकबा 4—19—0 व 0—17—10 का खातेदार वादी को घोषित किया जावे। प्रतिवादी को [illegible] पाबंद किया जावे।

राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर नि[illegible] कि वंर्किग खसरा नम्बर 3958 / 3 रकबा 4—19—0 व 3959 / 2 रकबा 0—17—10 नामान्तकरण संख्या 785 दिनांक 21.05.1987 से वादी रमेश चन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति [illegible] के नाम [illegible] खातेदार दर्ज किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:34:25 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

नामान्तकरण संख्या 282 दिनांक 17.16.1992 से उक्त आराजी पर खातेदार प्रदान की गयी। वंर्किग खसरा नम्बर 3958 व 3959 के हाल खसरा नम्बर 6253/2.37 6254 रकबा 0.25 वर्तमान में सिवायचक दर्ज है। आराजी मुतनाजा सिवायचक होने से वादी को बेदखल किया जाना उचित है। वादीगण द्वारा धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस नही दिया गया है। भूमि सिवायचक होने से वाद खारिज योग्य है।

प्रकरण मे निम्न तनकियात कायम की गयी :—

1. आया आराजी मुतनाजा वादी को विधिवत आवंटित हुयी थी ?

— — वादी

2. आया वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है ?

— — वादी

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में वादी के बयान दर्ज करवाये राजस्व अभिलेख व आवंटन आदेश पेश किया।

राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे एवं साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :—

<u>तनकी संख्या 1 व 2 :—</u>

वाद पत्र में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार ग्राम तिहारी के वंर्किग खसरा नम्बर 3958 रकबा 14—13—0 व 3959 रकबा 1—11—0 सिवायचक दर्ज थे। वंर्किग खसरा नम्बर 3958 में से 4—19—0 व 3959 में से 0—17—10 आराजी वादी को कैम्प ग्राम पंचायत तिहारी में दिनांक 23.06.85 को आवंटित हुयी। वादी द्वारा प्रस्तुत आवंटन दस्तावेज मे क्रम संख्या 11 पर वादी का नाम दर्ज है। जिससे आवंटन के तथ्यों की पुष्टि होती है। उक्त आवंटन आदेश की पालना में नामान्तकरण संख्या 785 दिनांक 21.5.1987 द्वारा गैर खातेदारी तथा नामान्तकरण संख्या 282 दिनांक 17.06.1992 से खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। उक्त दोनो नामान्तकरण का अमल दरामद तत्कालीन वंर्किग जमाबंदी में भी वादी के नाम किया गया। जिसकी ताईद वादी द्वारा प्रस्तुत वंर्किग जमाबंदी से होती है। वंर्किग खसरा नम्बर 3958 रकबा 14—13—0 के हाल खसरा नम्बर 6253 रकबा 2.37 व 6253/6659 रकबा 0.56 बने है। हाल खसरा नम्बर 6253 रकबा 2.37 को सिवायचक दर्ज कर दिया है। जबकि उक्त आराजी में 4—19—0 भूमि पूर्व राजस्व अभिलेख वंर्किग जमाबंदी अनुसार वादी के नाम खातेदारी दर्ज करनी चाहिये थी। बंदोबस्त विभाग को पूर्व इन्द्राज परिवर्तित करने का कोई अधिकार नही था। वादी को उक्त आराजी विशेष राजस्व अभियान में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश से आवंटित की गयी थी। जिसकी राजस्व अभिलेख में नियमानुसार पालना की गयी। राज0 पैरोकार ने प्रकरण में यह स्पष्ट नही किया है कि आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में किस कारण से वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज नही की गयी। वादग्रस्त आराजी हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज होने के कारण वादी का वाद खारिज नही किया जा सकता जबकि उसके द्वारा उक्त आराजी के आवंटन व तत्कालीन राजस्व अभिलेख में की गयी पालना के समस्त वांछित दस्तावेज न्यायालय में पेश किये है। पत्रावली में ऐसा कोई आदेश उपलब्ध नही है जिससे बंदोबस्त विभाग ने उक्त आराजी वादीगण की खातेदारी में से हटायी है। वंर्किग खसरा नम्बर 3959 रकबा 1—11—0 के हाल खसरा नम्बर 6302 रकबा 0.22 व 6254 रकबा 0.25 बने

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:34:25 IST
Reason: SelfAttested

——3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

है। खसरा नम्बर 6302 खातेदारी में दर्ज है जिसमें वादी का नाम नही है। किन्तु इस खसरा नम्बर के खातेदारों को प्रकरण में पक्षकार नही बनाया है। वंकिगि खसरा नम्बर 3959 का रकबा 1–11–0 था किन्तु हाल खसरा नम्बर का रकबा 0.47 होता है जो पूर्व रकबे से अधिक है। वादी द्वारा सम्पूर्ण रकबे की स्थिति स्पष्ट नही की है। खसरा नम्बर 3958/1 की वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। वादी हाल खसरा नम्बर 6253 रकबा 2.37 में से 0.776 आराजी पर खातेदारी प्राप्त के अधिकारी है। तनकी संख्या 1 व 2 बहक वादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम तिहारी की आराजी मुतनाजा पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी को ग्राम तिहारी के हाल खसरा नम्बर 6253 रकबा 2.37 में से 0.792 का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 22/5/22 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:34:25 IST
Reason: SelfAttested